न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 49/2017
निर्णय दिनांक– 03.01.2019

बाबूलाल पुत्र खेमाराम जाति रेगर निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– 1.श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 300 ख0न0 2240/672 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र खेमाराम है, जो कि प्रार्थी के परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड, पत्नी का भामाशाह, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित है। फोती का नामान्तरकरण खुलवाते समय गांव वाले प्रार्थी को बालू के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम बालू पुत्र खेमा दर्ज हो गया, जबकि सही नाम बाबूलाल पुत्र खेमराज है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से बालू पुत्र खेमा दर्ज हो जाने से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व कृषि सहायता प्राप्त करने आदि मे काफी परेशानी होती है। इस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार जी उनियारा से भी निवेदन किया परन्तु उन्होने श्रीमान के समक्ष कार्यवाही करने की हिदायत देने से उक्त प्रार्थना पत्र अदालत हाजा मे पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आराजी खाता संख्या 300 ग्राम ककोड मे प्रार्थी का नाम बालू पुत्र खेमा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र खेमाराम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर दिया जाने

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

पर राज्यहित प्रभावित नही होता है। सलंग्न दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अनुसार भी बालू पुत्र खेमा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र खेमाराम किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल खाता संख्या 300 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम ककोड आराजी ख0न0 2240/672 रकबा 0.48 है0 मे बालू पुत्र खेमा जाति रेगर सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति हिताधिकारी परिचय पत्र , परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड मे बाबूलाल पुत्र खेमाराम दर्ज है। छाया प्रति पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग मे भी प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र खेमा दर्ज है। नायब तहसीलदार पेरोकार राज ने अपने जवाब मे भी अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने पर राज्यहित प्रभावित नही होता है। ग्राम पंचायत ककोड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी बालू उर्फ बाबूलाल जाति रेगर निवासी ग्राम ककोड का निवासी है व इसकों दोनो ही नामों से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड तैयार करते हुये वास्तविक नाम बाबूलाल के स्थान पर बालू गलत दर्ज किया गया है। जो दुरूस्ती योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम ककोड आराजी ख0न0 2240/672 रकबा 0.48 है मे दर्ज बालू पुत्र खेमा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र खेमाराम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner